रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/94.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 26 अगस्त, 1994/ 4 भाद्रपद, 1916

### हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 अगस्त, 1994

संख्या एल० एस० जी०-ए (3) 4/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अध्यादेश, 1994 (अध्यादेश संख्या 1994 का 2) की धारा 279 और 304 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से उक्त अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और यह राजपत्र हिमाचल प्रदेश में सर्वसाधारण की जानकारी और सार्वजनिक आक्षेपों को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किये जाते हैं और सरकार द्वारा उक्त नियमों पर इनके प्रकाशन के (30) दिन पश्चात् विचार किया जाएगा:—

इन नियमों से संभाव्य प्रभावित यदि कोई व्यक्ति इनके बारे में कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे तो वह उसे उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आयुक्त एवं सचिव (स्थानीय स्वशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा:—

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझाव पर, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (वार्ड का परिसीमन और आरक्षण) नियम, 1994 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.—इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "उपायुक्त" से संबन्धित जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है जो राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए उपायुक्त कृत्यों का अनुपालन करने के लिए नियुक्त किया जाए ;
(ख) "मण्डल आयुक्त" से सम्बन्धित मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है ;
(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
(घ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
(ङ) "अध्यादेश से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अध्यादेश, 1994 अभिप्रेत है ;
(च) "वार्ड' से नगरपालिका क्षेत्र का ऐसा भाग अभिप्रेत है जो नगरपालिका के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए विभाजित और परिसीमित किया गया हो ;
(छ) "शब्द और पदों" के जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु अध्यादेश में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो अध्यादेश में उनके हैं।

3. नगरपालिका का वार्डों में विभाजित किया जाना.—(1) नगरपालिका का निर्वाचन कराने के लिए उसे वार्डों में विभाजित किया जाएगा।

(2) नगरपालिका में वार्डों की संख्या अध्यादेश की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

4. वार्डों की परिसीमा.—(1) जहां तक व्यावहार्य हो प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या एक समान होगी और प्रत्येक वार्ड क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से संहत्त और समीपस्थ होगा और उसकी प्राकृतिक सीमाएं होंगी जैसे कि सड़कें, मार्ग, गलियां, पथ, सरिता, नहरें, नालियां, जंगलों, रिज, रेलवे लाईन या ऐसे अन्य चिन्ह सीमाएं जिन्हें आसानी से सुभिन्न किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक वार्ड की सीमाएं सभी चार दिशाओं में निम्नलिखित रूप में सीमांकित की जाएगी:—

(1) उत्तर में . . . . . तक सीमा बढ़।
(2) दक्षिण में . . . . . तक सीमा बढ़।
(3) पूर्व में . . . . . तक सीमा बढ़।
(4) पश्चिम में . . . . . तक सीमा बढ़।

5. वार्डों के नाम और संख्या.—प्रत्येक वार्ड क्रम रूप में दी गई संख्या के अनुसार जाना जाएगा।

6. वार्डों की परिसीमा.—उपयुक्त अध्यादेश की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में विभाजित करते हुए वार्डों की परिसीमाओं के लिए प्रस्तावित करेगा और इन्हें अपने कार्यालय और नगरपालिका कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुला रखेगा और अपने कार्यालय तथा नगरपालिका के कार्यालय में प्ररूप II में सूचना की प्रति चिपका करके ऐसे प्रस्ताव के बारे मतदाताओं से सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी करेगा।

7. आक्षेपों का निपटान.—उपायुक्त, नियम 6 के अधीन प्राप्त आक्षेपों के बारे में जांच करेगा और आक्षेप दायर करने वाले मतदाता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् 10 दिन की अवधि के भीतर उन पर अपना निर्णय देगा।

8. अपील.—उपायुक्त के आदेशों से व्यथित कोई मतदाता दस दिन की अवधि के भीतर मण्डलायुक्त को अपील कर सकेगा जो अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् दस दिन की

अवधि के भीतर विनिश्चत करेगा और आदेश को उपायुक्त को सूचित करेगा । मण्डलायुक्त द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा ।

9. अन्तिम प्रकाशन.—(1) सभी आक्षेपों की सुनवाई और अन्तिम रूप से विनिश्चत या जब कोई आक्षेप प्राप्त न हुआ हो के पश्चात् किये गए परिसीमन को, उपायुक्त, नगरपालिका तथा ऐसे अन्य स्थान पर जो उपायुक्त विनिश्चित करें प्रस्ताव की प्रति चिपका कर परिसीमन के लिए प्रस्ताव के प्रारम्भिक प्रकाशन से 45 दिन की अवधि के भीतर अन्तिम रूप देगा और उसकी प्रति सरकार को भेजी जाएगी ।

(2) सरकार, नगरपालिका के प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व वार्डों के परिसीमन और वार्डों के आरक्षण तथा उनके चक्रानुक्रम को राजपत्र में अधिसूचित करेगी ।

(3) अन्तिम रूप से परिसीमित और आरक्षित वार्डों की प्रतियां सम्बन्धित उपायुक्त और नगरपालिका के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी । कोई भी मतदाता उपायुक्त या नगरपालिका को 25 रुपये के संदाय पर परिसीमन और आरक्षण की प्रति प्राप्त कर सकता है । और ऐसी प्रति उसे तुरन्त उपलब्ध करवाई जाएगी ।

10. स्थानों का आरक्षण.—(1) प्रत्येक नगरपालिका में सामान्य संवर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर अवधारित की जाएगी और आरक्षण करने के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की प्रतिशतता कुल जनसंख्या के संदर्भ में निकाली जाएगी ।

(2) प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड/वार्डों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए उस नगरपालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपातानुसार आरक्षित किया जाएगा । वार्ड जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता अधिकतम हो, अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा और जिस वार्ड में अनुसूचित जन जातियों की अधिकतम जनसंख्या हो, अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा ।

(3) यदि, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले वार्डों की संख्या एक से अधिक हो तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की अधिकतम जनप्रतिशतता वाला अगला वार्ड यथा स्थिति इन जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा :

परन्तु यदि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की जन संख्या के 5 प्रतिशत से कम हो तो इन जातियों के लिए कोई भी वार्ड आरक्षित नहीं किया जाएगा ।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्डों में से यथा स्थिति इन जातियों सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए एक तिहाई वार्ड आरक्षित किये जाएंगे :

परन्तु यदि आरक्षित वार्डों की संख्या एक से अधिक नहीं तो, यथास्थिति, प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् अनुकल्पतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या दो या दो से अधिक हो तो, यथास्थिति, कम से कम एक वार्ड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा ।

(5) नगरपालिका में नियम 9 के अधीन बनाये गए कुल वार्डों में से एक तिहाई वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाएंगे जिनके अन्तर्गत 34-नियम (4) के अधीन किया गया आरक्षण भी है और इन स्थानों की संगठना करते समय यदि विभाजित करने के पश्चात् शेष आधे से कम हो तो इसे एक संगठित किया जाएगा ।

(6) जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और इन जातियों से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड प्रथम निर्वाचन की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष के बाद सर्वतित किए जाएंगे । अगले निर्वाचन के समय उच्चतम जनसंख्या की अगली उच्चतम प्रतिशतता रखने वाले वार्ड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित किये जाएंगे जिसमें इन जातियों से सम्बन्धित महिलायें भी होंगी और पहले आरक्षित वार्ड सामान्य संवर्ग के सदस्य के लिए खुले रखे जाएंगे और इसी प्रकार पश्चातवर्ति निर्वाचनों में अनुसरण किया जाता रहेगा ।

(7) महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए जिसमें जन जातियों से सम्बन्धित महिलाएं भी हैं, आरक्षित वार्डों को अपवर्जित करने के पश्चात् भाग्य पत्रक द्वारा किया जाएगा ।

(8) उपायुक्त तीन दिन की स्पष्ट सूचना जारी करेगा जिसमें भाग्य पत्रक की तारीख स्थान और समय दर्शित होगा और ऐसी सूचना उसके और नगरपालिका के सूचना पट्ट पर चिपकाई जाएगी और नगरपालिका के भीतर डोंडी पिटवा कर उसकी उदघोषणा भी करेगा । भाग्य पत्रक द्वारा विनिश्चय नगरपालिका के कम से कम तीन प्रमुख व्यक्तियों और सरकार के तीन राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में यथा पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट तारीख स्थान और समय पर किया जाएगा ।

(9) प्रथम निर्वाचन में महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड अगले निर्वाचन के समय भाग्य पत्रक द्वारा विनिश्चय करने से अपवर्जित किया जाएगा और ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा । परन्तु कोई भी वार्ड दो लगातार निर्वाचनों में आरक्षित नहीं किया जाएगा ।

(10) किये गए आरक्षण और इस नियम के अधीन भाग्य पत्रक के परिणामों को उपायुक्त द्वारा अन्तिम रूप दिया जायेगा और उसके द्वारा ऐसे आरक्षण के आदेश की प्रति अपने और नगरपालिका के कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपका करके व्यापक प्रचार किया जाएगा और वह इसकी प्रति आदेश के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के लिए सरकार को भेजेगा और यह अधिसूचना वार्डों के आरक्षणों का निश्चयाक सबूत होगी ।

12. राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट.—सरकार, उसके द्वारा किये गए अन्तिम परिसीमन और आरक्षण के आदेश की प्रति तुरन्त राज्य निर्वाचन आयोग को परिदत्त करवाएगी ।

13. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका वार्ड नियम, 1970 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु ऐसे निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

---

**परिशिष्ट**

प्ररूप I

(नियम 6 देखें)

नगरपालिका को वार्डों में विभाजित करने और प्रत्येक वार्ड की सीमा को सीमांकित करने के प्रस्तावों की सूचना का प्रकाशन ।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नगरपालिका ..... को वार्डों में विभाजित करने और ऐसे प्रत्येक वार्ड को सीमांकित करने के लिए प्रस्ताव अगले दस दिनों के लिए कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी और नगरपालिका ..... के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे ।

यदि कोई मतदाता उक्त प्रस्ताव के बारे में उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के विरुद्ध आक्षेप करना या सुझाव देना चाहें तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से दस दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भेज सकेगा और प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने से पूर्व ऐसे प्राप्त आक्षेपों या सुझावों की जांच करेगा ।

उपायुक्त,

स्थान :

तारीख ..... 1994

---

प्ररूप--II

(नियम 7 देखें)

सेवा में

उपायुक्त,

.....

.....

हिमाचल प्रदेश ।

विषय:--ड्राफ्ट परिसीमन प्रस्ताव के प्रति आक्षेप ।

महोदय,

नगरपालिका क्षेत्र ..... के बारे में तारीख ..... को प्रकाशित प्रारूप, परिसीमन प्रस्ताव के सन्दर्भ में ..... ।

2. मैं नगरपालिका क्षेत्र ..... वार्ड संख्या ..... में क्रमांक ..... पर मतदाता हूं ।

3. मुझे इन प्रारूपों के प्रति निम्नलिखित आक्षेप हैं :--

(i)

(ii)

(iii)

भवदीय,

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पता .....

स्थान .....
तारीख .....

आदेश द्वारा,

ए स0 के0 सूद,
आयुक्त एवं सचिव।

---

[*Authoritative English Text of the Government Notification No LSG A*(3)4/94, *dated* 8-8-1994 *as required under clause* (3) *of article* 348 *of the Constitution of India*']

## LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 8th August,* 1994

**No. LSG-A(3)4-94.**—In exercise of the powers vested in him under section 279 and 304 of the Himachal Pradesh Municipal Ordinance, 1994 (Ordinance No. 2 of 1994) the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the State Election Commission, proposes to make the following rules for the purposes of the said Ordinance and the same are published in the Rajpatra Himachal Pradesh for the general information of the public and for inviting public objections and the said rules shall be taken into consideration by the Government after 30 days of their publication;

If any person likely to be affected by these rules has any objection or suggestion to make with regard to these rules, he may send the same to the Commissioner-*cum*-Secretary (LSG) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within the above stipulated period.

The objections or suggestions, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before the finalisation of the said rules, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal (De-limitation and Reservation of Wards) Rules, 1994.

(2) They shall come into force at one.

2. *Definitions.*—In these rules unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Deputy Commissioner" means the Deputy Commissioner of the District concerned and includes such other officer as may be appointed by the State Government to perform the functions of the Deputy Commissioner for the purposes of these rules;

(*b*) "Divisional Commissioner" means the Commissioner of the Division concerned;

(*c*) "Form" means a form appended to these rules;

(*d*) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(*e*) "Ordinance" means the Himachal Pradesh Municipal Ordinance, 1994;

(*f*) "Ward" means such part of a Municipal area as have been divided and delimited for the election of one member to the municipality;

(*g*) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Ordinance shall have the same meansings an assigned to them in the Ordinance.

3. *Municipality to be divided into wards*:—(1) For hodling of election to Municipalities, every Municipality shall be divided into wards.

(2) The number of wards in a municipality shall be determined in accordance with the provisions of section 10 of the Ordinance.

4. *Limit of wards.*—(1) As far as practicable each ward shall have equal population and each ward shall be geograhpically compact and continuous in areas, and shall have natural boundaries, such as roads, paths, lanes, streets, stream, canals, drains, Junles, Ridges, Railway lines or such other marks or boundaries which can be easily distinguish.

(2) One member shall be elected from each ward.

(3) The limits of each ward shall be defined in all four directions as follows:—

(I) Bounded on north by.....

(II) Bounded onthe south by.....

(III) Bounded onthe east by.....

(IV) Bounded on the sest by.....

5. *Name and number of the wards.*—Each ward shall be known by the number given serially and a name shall also be given to it.

6. *Delimitation of wards.*—The Deputy Commissioner shall make a proposal for Delimitation of wards by dividing a municipal area into wards as per provisons of section 10 of the Ordinance and shall also define the limits of each such ward and shall keep the same open for inspection in his office and in Office of the municipality and shall issue a notice inviting public objections from the voters, in relation to such proposal in form-I by affixing a copy of such notice in his office and in the Office of the municipality

7. *Disposal of Objections.*—The Deputy Commissioner of receipt of objection, in any, under rule 6, shall inquire into the same and shall decide, them within a period of ten days, after giving an opportunity of being heard to the Voter filing such objections.

8. *Appeal.*—Any Voter aggrieved by the orders of the Deputy Commissioner ma, file an appeal to the Divisional Commissioner within a period of ten days who after giving an opportunity of being heard to the applicant shall decide the same within a period of ten days and communicate the order to the Deputy Commissioner. The order passed by the Divisional Commissioner shall be final.

9. *Final publication.*—(1) After all the objections have been heard and finally decided, or no objection has been received, the delimitation so made shall be finalised within a period of 45 days from the initial publication of the proposal for delimitation, by affixing a copy of the same in the office of the Deputy Commissioner, the Municipality and at such other places as the Deputy Commissioner may decide and a copy of the same shall be sent to the Government

(2) The Government shall notify the delimitation of wards and reservation of wards and their rotation before every election of the Municipalitty in the official Gaxette.

(3) The copies of these finalised delimitated and reserved wards shall be available for inspection in the office of the Deputy Commissioner and the municipality concerned. Any Voter can have a copy of delimitation and reservation order by making payment of Rs. 25/-to the Deputy Commissioner or the municipality and the same shall be made available to him immediately

10. *Reservation of seats.*—(1) In every municipality the population of general category, Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be determined on the basis of pupulation and the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to the total population shall be worked out for the purposes of making reservation.

(2) In every municipality, ward/wards shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their population in that municipal area. The ward having highest percentage of population of Scheduled Castes shall be reserved for the members of the Scheduled Castes and the ward having the highest population Scheduled Tribes shall be reserved for the Scheduled Tribes.

(3) If the number of wards to be reserved for the members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes is more than one. then the ward having the next highest percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be reserved for the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. as the case may be, and so on.

prodvied that if the total population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in a municipal area is less than 5% of the total population, then no ward shall ber reserved for them.

(4) Out of the wards reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes one third of the wards shall be reserved for women members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. as the case may be:

Provided that if the mumber of wards reserved is not more than one. then there will be reserveation for men and women belonging two Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, alternatively, after every five years:

Provided further that if the number of wards reserved for the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are to or more than two then atleast one ward shall be reserved for the wome members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as the case may be.

(5) Out of the total wards formed under rule 9 in the municipality, one-thrid of the wards shall be reserved for women including the reservation made under sub-rule (4) and in cumputing these seats if the remainder after dividing is less than half then it will be ignored and if it is more than half. it will be taken as one.

6. The wards reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Women belonging to Scheduled Castes and Sceduled Tribes on the basis of percentage of population shall be changed after every five years from the date of first election. At the time of next election, the ward/wards, containing the next highest percentage of population shall be reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes including women belonging to Scheduled Castes and Schedled Tribes and the ward earlier reserved shall be kept open to the members of the General category and so on for subsequent elections.

(7) The reservation of wards for women, shall be made by draw of lots after excluding the wards which have been reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates including women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(8) The Deputy Comissioner shall issue a three days clear notice sepcifying therein the date, place and time of the draw of lots and such notice shall be affixed on the notice board of his office and that of the municipality and he shall also proclaim it by beat of drums within the municipal area. The draw shall take place on the date, place and time specified above on the presence of atleart three prominent persons of the municipal area and three Gazetted Officers of the Government.

(9) The ward reserved for women in the first election shall be excluded from the draw of lots at the time of next election and so on. Provided that no ward shall be reserved in two consecutive election.

(10) The reservations made and the results of draw of lots under this rules shall be finalised by the Deputy Commissioner and shall be given wide publicity by him by affixing a copy of order of such reservation in the notice board of his office and that of the municipality and shall also send a copy of the same to the Government for publication of the order in the Official Gazette and this notification shall be the conclusive proof of reservations of wards

12. *Report to State Election Commission.*—The Government shall cause to be delivered a copy of the final delimitation and reservation and reservation order made by him immediately to the State Election Commission.

13. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Municipalities (Wards) Rules, 1970 are hereby repealed.

Porvided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

---

## APPENDIX

FORM

(*See* Rule-6)

Notice of publication of the proposals for dividing the municipality into wards and defining the limits of each ward.

Notice is hereby given that the roposals for dividing ..... municipality into wards and defining the limits of each such ward shall be available for inspection in the office of the undersigned and the office of the municipalaity..... during the office hours for the next 10 days.

If any voter has any objections of or suggestions to make with regard to aforesaid proposal against anything contained in the can send the same to the undersigned within 10 days from the date of publication of this notice and objections or suggestions so received shall be inquired into before finalising the proposal.

*Deputy Commissioner.*

Place.....

FORM 2

(*See* rule 7)

To
The Deputy Commissioner.
.....,
Himachal Pradesh.

*Subject*.—Objections to the draft delimitation proposals.

Sir,

Please refer to the draft delimitation proposals published on..... in respect of municipal area.

2. That I am a voter in ward No.....at serial number..... of municipal area.

3. That I have the following objections to these draft proposals :—

(*i*)
(*ii*)
(*iii*)

Yours faithfully,

Signature.....
Full Name.....
Address.....

Place:.....
Date:.....

*By Order*,
Sd/-
*Commissioner-cum-Secretary*.